JALAUN POLICE

दिनांक– 18.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी हेमन्त कुमार पुत्र ज्ञानदास नि0 ग्राम मीगनी थाना माधौगढ जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर दिनांक 08.03.2021 को थाना माधौगढ पर मु0अ0सं0 34/21(वाद संख्या 107/21) धारा 323/34/504/506 भादवि व 3(1)द(ध) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1- कोमल 2- राघवेन्द्र पुत्रगण गोपाल दास नि0गण ग्राम मीगनी थाना माधौगढ जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 06.05.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 18.07.2025 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कोमल एवं राघवेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।